प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
ANDHRA PRADESH HYDERABAD - 500 004.

सत्यमेव जयते

PM/VI/2011-12

दिनांक / Date :

To
The Director of Treasuries and Accounts
Hyderabad

Sir,

Sub:- Forwarding of Accountant General (A&E) Chattisgarh SSA NO PA/revn. Of pension/MLA/831 Dt.07-07-2011

Ref:- 1.Govt. of Chattisgarh GO number166 Dt.06.05.2011-Vidhan Sabha Sadasya Vetan

***

I am herewith enclosing a Special Seal Authority issued by the Principal Accountant General (A&E) , Chattisgarh in the reference cited. The same is being placed in this office official website (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action at the earliest to minimize hardship to the pensioners.

Yours faithfully,

Sr Accounts Officer

Copy To
Joint Director, Pension Payment Office,
Nampally, Hyderabad — for information and necessary action.

Sr Accounts Officer

दू०भा०/ Phone : 040-23236810-19, ई-मेल / E-mail : agaeAndhrapradesh@cag.gov.in
Web Site : http://ag.ap.nic.in फैक्स / Fax : 040-23232441 तार / Grams : Accounts

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

छत्तीसगढ़,रायपुर

क्रमांक/पी.ए./पुन. पेंशन/एम.एल.ए./ 831 दिनांक 07/7/2011

प्रति,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
आंध्रप्रदेश, सईफाबाद
हैदराबाद - 500004

कोषालय अधिकारी

विषयः--छत्तीसगढ़ राज्य के माननीय पूर्व विधानसभा सदस्यों को संशोधित दर से पेंशन का निर्धारण बाबत्।

संदर्भः--छत्तीसगढ़ विधानसभा रायपुर के पत्र क्रमांक 6930/वि.स./स.ले./पेंशन 9611/2011 दिनांक 17.06.2011

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत छत्तीसगढ़ राजपत्र क्रमांक-166 दिनांक 6 मई 2011 में प्रकाशित छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम 2011 की छायाप्रति संलग्न है के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित माननीय पूर्व सदस्यों को पेंशन,चिकित्सा भत्ता, कुटुम्ब पेंशन दिनांक 6 मई 2011 से निम्नानुसार देय है।

1. **पेंशन** -- राशि रूपये 10,000 के स्थान पर राशि रूपये 16,000/--प्र.मा. की दर से।
2. **चिकित्सा भत्ता** -- राशि रूपये 1,500 के स्थान पर राशि रूपये 25,00/--प्र.मा. की दर से
3. **कुटुम्ब पेंशन** -- राशि रूपये 5,000 के स्थान पर राशि रूपये 8,000/--प्र.मा.की दर से

उपरोक्तानुसार संशोधन कर भुगतान करना सुनिश्चित करें।

लेखा अधिकारी/पी.ए.

प्रतिलिपिः--

1. उपसचिव,छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

लेखा अधिकारी/पी.ए.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 166] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 मई 2011—वैशाख 16, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 मई 2011

क्रमांक 3336/113/21-अ/प्रा./छ. ग./11.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 03-05-2011 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 12 सन् 2011)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2011

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 6-क का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 6-क की उपधारा (1) में शब्द "दस हजार" के स्थान पर शब्द "सोलह हजार" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 6-ख का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की धारा 6-ख में शब्द "पांच हजार" के स्थान पर शब्द "आठ हजार" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 6-

मूल अधिनियम की धारा 6-ग में शब्द "एक हजार पांच सौ" के स्थान पर शब्द "दो हजार पांच सौ" प्रतिस्थापित

रायपुर, दिनांक 7 मई 2011

क्रमांक 3336/113/21-अ/प्रा./छ. ग./11.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 12 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 12 of 2011)

THE CHHATTISGARH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN, BHATTA TATHA PENSION (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2011

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-second year of the Republic of India, as follows :—

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension (Sanshodhan) Adhiniyam, 2011. **Short title and commencement.**

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In sub-section (1) of Section 6-A of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973), (hereinafter referred to as the Principal Act) for the words "Ten Thousand" the words "Sixteen Thousand" shall be substituted. **Amendment of Section 6-A.**

3. In Section 6-B of the Principal Act, for the words "five thousand" the words "Eight Thousand" shall be substituted. **Amendment of Section 6-B.**

4. In Section 6-C of the Principal Act, for the words "One thousand five hundred" the words "Two Thousand Five Hundred" shall be substituted. **Amendment of Section 6-C.**

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.